संख्या-1228/2025/1337/22-2-2024-17(405)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 14 अक्टूबर,2025

विषय :- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगता पुत्र श्री भूपा, निवासी जनपद सम्भल की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25377/प्रो0अनु0(2)-2024/(बैठक दिनांक-13.08.2024) दिनांक-16-08-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगता पुत्र श्री भूपा, जो जसकोली, थाना-असमोली, जनपद-सम्भल का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 09-12-2009 की सुबह 10:30 बजे अगौला लेने जा रही आयु 14 वर्ष की लड़की को गन्ने के खेत में ले जाकर अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बलात्कार किया तथा भेद खुल जाने के डर से गला घोटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-419/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-2, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 05-05-2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-22-08-2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 10.01.2024 तक 14 वर्ष, 01 माह की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 10.01.2024 तक बंदी की आयु 59 वर्ष, 07 माह, 29 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी ने दिनाक 09.12.2009 की सुबह 10:30 बजे अगौला लेने जा रही आयु 14 वर्ष की लड़की को गन्ने के खेत में ले जाकर अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बलात्कार किया तथा भेद खुल जाने के डर से गला घोटकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के सम्बन्ध में विपरीत संदेश जाएगा। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने, पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 11.07.2024 द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध कोई अनुकूल मत नही होने एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा 432 द०प्र०सं०

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगता पुत्र श्री भूपा को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगता (बन्दी संख्या-16745) पुत्र श्री भूपा, निवासी जनपद सम्भल की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1228/2025/1337(1)/22-2-2024 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।